



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177994

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 2403/2011

नेशनल इंश्योरेंस कं.लि.

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

जय प्रकाश राठौर एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : निशांत मेहरोत्रा, विवेक कुमार बिरला

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अरविंद कुमार सिंह

न्यायालय संख्या- 54

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत मेहरोत्रा, प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान अपील एम.ए.सी.टी. एटा द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 179 सन् 2008 (जय प्रकाश राठौर एवं अन्य बनाम श्री कृष्ण कांत उपाध्याय एवं अन्य) में पारित दिनांक 13.10.2010 के निर्णय एवं अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है।

3- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-दावेदारों ने अपनी दावा याचिका में कहा है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 14.12.2004 को लगभग 1:30 बजे उस समय एक दुर्घटना में हुई, जब उसके द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल एक स्पीड ब्रेकर पर उसे पलटने के पश्चात फिसल गई, मारुति वैन से टक्कर से बचने के उद्देश्य से। यह प्रस्तुत किया गया कि दावा याचिका में ही उक्त कथन यह दर्शाता है कि मृतक मोटरसाइकिल का चालक था, जिससे वह गिर गया और उक्त दुर्घटना में उसे आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

4- दावा याचिका में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि मृतक की मोटरसाइकिल या तो ओवरटेक की गई थी या किसी अन्य वाहन से टकराई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक स्वयं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लापरवाह था और उसकी मृत्यु उसके स्वयं के उतावलेपन एवं लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण हुई दुर्घटना के कारण हुई थी, अतः उसे दावा याचिका में की गई क्षतिपूर्ति, जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि उक्त प्रकरण में मृतक घायल हुआ था, की हकदारी नहीं हो सकती थी। यदि मृतक स्वयं, जीवित रहने की स्थिति में, उक्त दुर्घटना में आई चोटों के लिए किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं हो सकता था, तो प्रतिवादी-दावेदार, उसके विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते, मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत दावा याचिका दाखिल करके क्षतिपूर्ति का दावा करने के भी हकदार नहीं होंगे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए का उद्देश्य उन व्यक्तियों को राहत प्रदान करना नहीं है, जो केवल अपने स्वयं के उतावलेपन एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटना में घायल हुए हों।

5- अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **रामखिलाड़ी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य, (2020) 2 एस.सी.सी. 550** के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

6- इसके विपरीत, प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही में बीमा कंपनी को पीड़ित की ओर से हुई लापरवाही का मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनील कुमार एवं अन्य, ए.आई.आर. 2017 सुप्रीम कोर्ट 5710** के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

7- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया। दावेदारों की ओर से यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 14.12.2004 को एक सड़क दुर्घटना में उस समय हुई, जब उसके द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल मारुति वैन से बचाने के लिए उसे एक स्पीड ब्रेकर पर फिसल गई। दावेदारों का यह प्रकरण नहीं था कि मृतक स्वयं किसी वाहन से टकराया था अथवा उसकी मोटरसाइकिल किसी आक्षेपित वाहन से टकराई थी। तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दावा याचिका को स्वीकार कर लिया और रु. 3,64,500/- की क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत की।

8- मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के प्रावधान अत्यंत विशिष्ट हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ऐसे पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है, जिन्हें किसी वाहन दुर्घटना में या तो चोट लगी हो अथवा मृत्यु हुई हो। इससे पहले कि घायल अथवा मृतक के दावेदार मोटर यान अधिनियम की



धारा 163-ए अथवा 166 के अंतर्गत दाखिल किसी दावा याचिका में सफल हो सकें, उनके लिए अधिकरण के समक्ष यह अभिलेख पर लाना आवश्यक है कि चोट अथवा मृत्यु का कारण वाहन दुर्घटना का परिणाम था। जब तक मृत्यु का कारण वाहन दुर्घटना न हो और मृत्यु अथवा चोट मृतक या घायल के मोटर वाहन से गिरने के कारण न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में मोटर यान अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत नहीं की जा सकती। **रामखिलाड़ी (उपर्युक्त)** का निर्णय इस मुद्दे पर अत्यंत विशिष्ट है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर वाहन का स्वामी, उधारकर्ता या अनुज्ञेय उपयोगकर्ता अपने स्वयं के वाहन के उपयोग के संबंध में धारा 163-ए के अंतर्गत दावा बनाए नहीं रख सकता।

9- उपर्युक्त विचार-विमर्श के आधार पर, यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान अधिकरण ने प्रतिवादीगण की दावा याचिका को स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि किया है। अतः आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.10.2010 को **अपास्त** किया जाता है और यह अपील **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

19 अगस्त, 2026

नीतू